न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण क्रमांक 1101 / 2015</u> संस्थापित दिनांक 03 / 12 / 2015 फाइलिंग नं. 230303016072015

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

> >अभियोजन

बनाम

1. केशव कुशवाह पुत्र उदल कुशवाह उम्र 22 वर्ष निवासी— वार्ड क० १६ गोहदी थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—279, 337 एवं 338 भा०द०स० तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 एवं 3 / 181 ।) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य ।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री राजेश शर्मा ।)

<u>::- नि र्ण य --::</u> (<u>आज दिनांक 04.05.2018 को घोषित)</u>

आरोपी पर दिनांक 08.03.2015 को रात्रि लगभग 08:00 बजे गोहद चौराहा पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बॉक्सर मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 30 बी0ए0 7718 को बिना अनुज्ञप्ति एवं बीमा के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत रमाकांत की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर आहत रमाकांत को चोट पहुंचाकर उसे अस्थिभंग कारित कर गंभीर उपहित एवं आहत गौरव उर्फ गोलू को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहित कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 279, 338 एवं 337 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 03/181 एवं 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 18.03.2015 को फरियादी धीरसिंह का लड़का रमाकांत पल्सर मोटरसाईकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए मण्डी तिराहे पर जा रहा था। मोटरसाईकिल पर तीन लोग बैठे थे, गुमान सिंह गुर्जर मोटरसाईकिल चला रहा था। उसका लड़का रमाकांत बीच में बैठा था एवं गोलू पीछे बैठा था। उसकी मोटरसाईकिल धीमी रफ्तार से चल रही थी। गोहद बंधा के पास पुल के पहले आरोपी केशव कुशवाह अपनी बॉक्सर मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया था और उसके लड़के रमाकांत की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी जिससे रमाकांत एवं गोलू के चोटे आई थी। उसे फोन पर सूचना मिली थी तो वह मौके पर पहुंचा था तो रमाकांत एवं गोलू ने पूरी बात बताई थी फिर वह उन्हें लेकर अस्पताल गोहद पहुंचा था जहां से उन्हें ग्वालियर रैफर कर दिया था एवं उसने बिरला अस्पताल ग्वालियर में अपना इलाज कराया था। फरियादी धीरसिंह द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क0 81/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण

विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टयां पढकर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आहत रमाकांत एवं अवस्यक गौरव उर्फ गोलू की ओर से उसके विधिक प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0दं0सं0 की धारा 337 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा आरोपी के विरूद्ध मात्र भा0दं0सं0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 03/181 एवं 146/196 के अंतर्गत अपराध का विचारण शेष है।
- 5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।
- 6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 08.03.2015 को रात्रि लगभग 08:00 बर्जे गोहद चौराहे पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बॉक्सर मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 बी0ए0 7718 को को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
 - 2. क्या आरोपी के पास घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 बी0ए0 7718 को चलाने का बीमा एवं अनुज्ञप्ति नहीं थी ?
- 7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी धीरसिंह अ०सा० 1, रमाकांत अ०सा० 2 एवं गौरव अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1एवं 2

- 8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फिरयादी धीरिसंह अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि घटना उसके न्यायायलीन कथन से लगभग 3 वर्ष पहले की शाम को 7–8 बजे की है। उसका लड़का रमाकांत मोटरसाईकिल में पेट्रोल डलाने मण्डी तिराहा जा रहा था उसके साथ में गोलू बैठा हुआ था, उसकी मोटरसाईकिल को गुमान सिंह चला रहा था तभी गोहद बंधे के सामने एक मोटरसाईकिल से टक्कर हो गई थी जिससे रमाकांत एवं गोलू को चोटे आई थी जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गोहद में की थी जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शमौका प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी केशव कुशवाह आरोपित मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल चलाने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं पुलिस कथन प्र0पी0 3 में पुलिस को बताई थी।

- 10. आहत रमाकांत अ०सा० 2 एवं गौरव अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन मोटरसाईकिल से पेट्रोल डलाने मण्डी तिराहे जाना एवं गोहद बंधे के पास सामने से मोटरसाईकिल से टक्कर होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी केशव कुशवाह ने आरोपित बॉक्सर मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी।
- 11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
- 12. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी धीरसिंह अ०सा० 1 एवं आहत रमाकांत अ०सा० 2 तथा गौरव अ०सा० 3 ने घटना दिनांक को एक्सीडेंट होना तो बतया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल का नम्बर क्या था और उसे कौन चला रहा था। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित करने से इंकार किया है। फरियादी धीरसिंह अ०सा० 1 ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल चलाने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र०पी० 1 एवं पुलिस कथन प्र०पी० 3 में पुलिस को लिखाई थी।
- 13. आहत रमाकांत अ०सा० 2 एवं गोलू अ०सा० 3 ने भी घटना दिनांक को उनका एक्सीडेंट होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल का नम्बर क्या था और उसे कौन चला रहा था। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। प्रकरण में आई साक्ष्य ये यह दर्शित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाईकिल को आरोपी चला रहा था। जहां तक आरोपी द्वारा बिना बीमा एवं ड्राईविंग लाईसेंस के मोटरसाईकिल चलाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आई साक्ष्य से यह ही प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को आरोपी आरोपित मोटरसाईकिल को चला रहा था, ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि आरोपी ने आरोपित मोटरसाईकिल को बिना बीमा एवं ड्राईविंग लाईसेंस के चलाया था।
- 14. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी धीरसिंह अ0सा0 1 एवं आहत रमाकांत अ0सा0 2 तथा गौरव अ0सा0 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण के अलावा अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को बिना बीमा एवं झाईविंग लाईसेंस के मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 बी०ए० 7718 उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था, ऐसी स्थित में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 15. यह अभियोजन का दायित्व है कि आरोपी के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करें यदि अभियोजन मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- 16. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 08.03.2015 को रात्रि लगभग 08:00 बजे गोहद चौराहा में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन बॉक्सर मोटरसाईकिल कमांक एम0पी0 30 बी0ए0 7718 को बिना अनुज्ञप्ति एवं बीमा के उपेक्षा अथवा

उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी केशव कुशवाह को साक्ष्य के अभाव में भा0दं०सं० की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 03/181 एवं 146/196 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

17. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

18. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 बी०ए० 7718 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा मे माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 04.05.18 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / — (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

